**सप्तदश माला, खंड 11, अंक 24** **गुरुवार, 25 मार्च, 2021**

**4 चैत्र, 1943 (शक)**

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

## पांचवां सत्र

## (सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

*(खंड 11 में अंक 21 से 24 तक हैं)*

**लोक सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

## सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
**महासचिव**
**लोक सभा**

ममता केमवाल
**संयुक्त सचिव**

अमर सिंह
**निदेशक**

बसन्त प्रसाद
**संयुक्त निदेशक**

मदन कुमार मिश्र
**उप निदेशक**

**© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय**

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

---

**लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (**Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

# विषय-सूची

**सप्तदश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2021 / 1943 (शक)**
**अंक 24, गुरुवार, 25 मार्च, 2021 / 4 चैत्र, 1943 (शक)**


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | |
| * तारांकित प्रश्न संख्या 421 से 427 | 11-37 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 428 से 440 | 38 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 4831 से 5060 | |


* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

**सभा पटल पर रखे गए पत्र** 40-45

**राज्य सभा से संदेश** 46

**सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति** 47-48

**मंत्रियों द्वारा वक्तव्य** 49-53

(एक) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2020-21) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

**श्री नितिन जयराम गडकरी** 49

(दो) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सामान्य रक्षा बजट, बीआरओ, आईसीजी, एमईएस, डीजीडीई, डीपीएसयू, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, रक्षा पेंशन और ईसीएचएस (मांग संख्या 19 और 22)' के बारे में वर्ष 2018-19 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

**श्री श्रीपाद येसो नाईक** 50

(तीन) (क) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'ऊर्जा संरक्षण' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति 51

(ख) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय विद्युत नीति-एक समीक्षा' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति 51

(ग) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'विद्युत एक्सचेंज की भूमिका, प्रदर्शन और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति 52

(घ) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का कार्यकरण' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन मे अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति 52

**श्री आर.के. सिंह** 51-52

(चार) (क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'मसाला बोर्ड के कार्यकलाप और कार्यकरण' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 138वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 53

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'जैविक उत्पादों का निर्यात: चुनौतियाँ और अवसर' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 53

**श्री हरदीप सिंह पुरी** 53

**वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय बढ़ाया जाना** 54

**नियम 377 के अधीन मामले** 55-70

(एक) मध्य प्रदेश के धार जिले में एक बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

**श्री छतर सिंह दरबार** 55

(दो) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में इंटरसिटी ट्रेन (गाड़ी संख्या 02529) को भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

**श्री रमापति राम त्रिपाठी** 56

(तीन) जलगांव में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने और रोजगार के अवसर सृजित किए जाने के बारे में

**श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल** 57

(चार) उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सण्डीला तहसील में बुनाई मिल पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

**श्री अशोक कुमार रावत** 58

(पाँच) अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिकों के समान सुविधाएं प्रदान किए जाने के बारे में

**श्री विवेक नारायण शेजवलकर** 59

(छह) उत्तराखंड में उत्तरकाशी-कमद-अनियारकखल-बूढ़ाकेदार-घन्साली-मयाली-तिलवाड़ा सड़क को बारहमासी राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने के बारे में

**श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह** 60

(सात) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं शेखावाटी क्षेत्र के लिए पेयजल और सिंचाई परियोजना का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

**श्री राहुल कस्वां** 61

(आठ) उत्तर प्रदेश के झाँसी और ललितपुर जिलों के विकास के बारे में

**श्री अनुराग शर्मा** 62-63

(नौ) दिल्ली और गोरखपुर के बीच वंदे भारत रेलगाड़ी और लखनऊ-गोरखपुर-वाराणसी रेल खंड पर शताब्दी एक्सप्रेस चलाए जाने के बारे में

**श्री रविन्दर कुशवाहा** 64

(दस) राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित ओगणा में लवीना विकास सेवा संस्थान द्वारा अनाथ बच्चों के लिए संचालित खुले आश्रयगृह के बारे में

**श्री अर्जुन लाल मीणा** 64

(ग्यारह) हरियाणा में रेलवे से जुड़ी समस्याओं के बारे में

**श्री धर्मवीर सिंह** 65

(बारह) बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चिरैया-दिपही-घोड़ासहन सड़क का शीघ्र निर्माण कराए जाने के बारे में

**श्रीमती रमा देवी** 66

(तेरह) बिहार के औरंगाबाद जिले में पत्थर खनन स्थलों पर पर्यावरण संबंधी मानदंडों के कथित उल्लंघन के बारे में

**श्री सुशील कुमार सिंह** 67

(चौदह) महाराष्ट्र के शिर्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे से जुड़ी समस्याओं का उचित समाधान किए जाने के बारे में

**श्री सदाशिव किसान लोखंडे** 68

**विदाई संबंधी उल्लेख** 69-71

**राष्ट्रीय गीत** 72

# लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्री ओम बिरला

**सभापति तालिका**

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

**महासचिव**

श्री उत्पल कुमार सिंह

# लोक सभा वाद-विवाद

---

---

लोक सभा

---

गुरुवार, 25 मार्च, 2021 / 4 चैत्र,1943 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

**[श्री भर्तृहरि महताब** *पीठासीन हुए***]**

[अनुवाद]

**माननीय सभापति:** अब प्रश्नकाल आरम्भ होता है।

## [1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**माननीय सभापति:** प्रश्न संख्या 421 - डॉ. जयंत कुमार राय - उपस्थित नहीं हैं।

श्री भोला सिंह।

**(प्रश्न 421)**

[हिन्दी]

**श्री भोला सिंह :** सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वह 'हरित' प्रस्ताव वायु प्रदूषण रोकने के लिए लाए हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली में 49,930,15 पुरानी बसें हैं, जो दस से बीस साल पुरानी हैं और उत्तर प्रदेश में 56,54,759 बसें हैं। मैं बुलंदशहर से आता हूं जो कि दिल्ली का एनसीआर का हिस्सा है।

वर्ष 2020 में वायु प्रदूषण का इंडेक्स आया, जिसमें विश्व में 30 शहरों का प्रदूषण क्रम दिया गया है, जिसमें 22 शहर भारत के हैं, उसमें दिल्ली के बाद गाजियाबाद, बुलंदशहर प्रदूषण के मामले में तीसरे नम्बर पर आता है। जिस तरीक से माननीय मंत्री जी पुरानी बसों को हटाने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। मेरा ग्रामीण

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

इलाका है, वहां करीब ढ़ाई सौ बसें ऐसी हैं, जो दस साल से कम की हैं और करीब सवा पांच सौ बसें इससे ज्यादा समय की हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एनजीटी ने अक्तूबर, 2017 को एक आदेश दिया था, जिसमें पुरानी बसों को 31 मार्च, 2021 तक की ही अनुमति दी थी। अगर ये सारी बसें हट जाती हैं तो वहां के नागरिकों को असुविधा होगी। इसके लिए माननीय मंत्री जी क्या विचार करेंगे, जिससे लोगों को असुविधा न हो और वायु प्रदूषण भी कंट्रोल किया जाए, इसके लिए क्या आप कोई योजना बनाने के बारे में सोच रहे हैं?

**श्री नितिन जयराम गडकरी:** सम्माननीय सभापति महोदय, एयर पोल्यूशन और वॉटर पोल्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारी स्वास्थ्य विषयक अनेक समस्याओं का संबंध पोल्यूशन से जुड़ा है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इस समस्या की गंभीरता को समझाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि एक तरफ पोल्यूशन जिन कारणों से होता है, उसे कैसे कम करें। हम अपनी तरफ से लगातार पॉजिटिव प्रयास कर रहे हैं कि पेट्रोल-डीजल की बजाए इथेनॉल, मीथेनॉल, बायो-डीजल, बायो-सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर काम कर रहे हैं।

मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 81 परसेंट लिथियम ऑयन बैटरी देश में ही बन रही है। दो सालों के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक फोर व्हिलर और डीजल बसों की कीमत इलेक्ट्रिक के ही समान यानी दोनों की कीमत एक समान होगी, इतना रेट कम हो जाएगा। हमारा पेट्रोल का कन्जम्पशन बीस हजार रुपये लगता है, वही इलेक्ट्रिसिटी का दो हजार रुपये लगेगा।

हमने प्रधानमंत्री जी के सांइटिफिक एडवाइजर, इसरो और डीआरडीओ को बुलाकर एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी, उसमें लिथियम ऑयन के साथ एल्यूमिनियम ऑयन, जिंक ऑयन, सोडियम ऑयन और स्टील ऑयन पर भी काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें जल्दी ही ब्रेकथ्रू मिल जाएगा और इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। इसके साथ-साथ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर भी चेन्नई आईआईटी ने काफी

अच्छा काम किया है, उन्होंने समुद्र के पानी से हाइड्रोजन निकालने के बारे में सक्सेसफुली प्रयोग किया है। उसके साथ-साथ सोलर एनर्जी से भी ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है।

मिनिस्ट्री उन्हें सहयोग कर रही है, उनसे बातचीत और एमओयू कर रही है, ताकि देश में जल्दी ही ऑल्टरनेटिव फ्यूएल आए। कॉन्सटीट्यूशन के अनुसार ग्रीन टैक्स तय करने का अधिकार भारत सरकार का है। हम केवल प्रिंसिपली टैक्स तय करके राज्य सरकार को देते हैं। प्राइवेट व्हिकल्स 15 साल के बाद ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो उन पर यह टैक्स 10 से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार को देने के लिए अभी एडवाइजरी इश्यू की गई है।

इसके साथ ही जो कॉमर्शियल व्हिकल्स हैं, उन पर 8 साल के बाद टैक्स लगा सकते हैं। यह अधिकार राज्य सरकार को है कि कितना टैक्स लगाना है। माननीय सदस्य ने जो बात अभी की है, उसमें एक सॉल्यूशन है। स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्जे में डूबा हुआ है, वहां पर परिस्थितियां खराब हैं। गरीब लोगों को बहुत अड़चन होगी। इसलिए निश्चित रूप से उनके प्रति सहानुभूति से सोचना होगा। एक तरफ पॉल्यूशन रोकने के लिए स्ट्रिक्ट नियमों का पालन भी करना होगा। दूसरी ओर गरीब आदमी की समस्याओं को भी संवेदनशीलता के साथ देखना होगा। मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि अगर वे डीजल की बसों को सीएनजी में कंवर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन कम होगा। सरकार इसके बारे में सहानुभूति से सोचेगी और वे बसें फिर से कुछ दिनों तक चल सकेंगी ।

माननीय सभापति जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सटे हुए भागों में राइस स्ट्रॉ निकलता है, जिसे पॉपुलरली पराली कहा जाता है। अब सक्सेज़फुली यह प्रयोग भी हुआ है कि पूरे देश में जहां भी राइस की उपज है, वहां पर [अनुवाद] पांच टन चावल का भूसा (पराली) एक टन बायो-सीएनजी दे रहा है। [हिन्दी] मैंने अपने मतदान क्षेत्र नागपुर में 450 पुरानी बसों को सीएनजी में कंवर्ट करने का निर्णय किया है, जिनमें से 100 बसें कंवर्ट भी हो गई हैं। इससे इकोनॉमिक्स भी बदल गई है। बायो-सीएनजी से चलने वाला एक ट्रैक्टर भी लांच किया है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य इस दिशा में भी कोशिश करें।

इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज है। दिल्ली के आस-पास जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसे रोकने के लिए हमारी मिनिस्ट्री की ओर से करीब 60,000 करोड़ रुपये खर्च करके रोड बनाए जा रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस हाइवे 10,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। ईस्टर्न और वेस्टर्न बाइपास करीब 20,000-22,000 करोड़ रुपये के हैं। इसके साथ ही साथ और भी रोड्स हैं, जिनके पूरा होने से दिल्ली को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। आने वाले दो-तीन सालों में दिल्ली-मेरठ पूरा हो जाएगा। हम दिल्ली से देहरादून के लिए रोड बना रहे हैं, जिससे देहरादून सिर्फ दो घंटे में पहुंच सकते हैं। दिल्ली से लखनऊ के लिए रोड बन रहा है। दिल्ली से चंडीगढ़, देहरादून और हरिद्वार केवल दो घंटे में जा सकेंगे। दिल्ली से जयपुर सवा दो घंटे में जा सकेंगे। दिल्ली के आस-पास जब ये सारे नेटवर्क तैयार होंगे, दिल्ली से कटरा, अमृतसर वाला नया रोड भी बन रहा है, उसका भी काम शुरू होगा, इसके कारण काफी समस्याएं कम हो जाएंगी। दिल्ली का प्रॉब्लम क्रूशियल प्रॉब्लम है। [अनुवाद] हमें एयर और वॉटर पॉल्यूशन दोनों के लिए गंभीरता से सोचना होगा, उसी के लिए ये नियम बनाये जा रहे हैं।

**श्री भोला सिंह:** माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने पॉल्यूशन की समस्या को कंट्रोल करने के साथ-साथ नागरिकों की समस्या का समाधान भी निकाला है। मैं भी एनसीआर से हूं और मैं कहना चाहूंगा कि हाइवे और ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरल का लाभ पूरे एनसीआर के लोगों को मिला है। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। मैं पूरे क्षेत्र की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं ग्रीन टैक्स के संबंध में एक और जानकारी लेना चाहता हूं कि ग्रीन टैक्स का कलेक्शन जिस क्षेत्र से होगा, जैसे एनसीआर का यहां से होगा और बुलंदशहर का बुलंदशहर से होगा। क्या उस क्षेत्र के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उस टैक्स को उसी क्षेत्र में बसों या अन्य किसी क्षेत्र के माध्यम से लगाने की योजना है?

**श्री नितिन जयराम गडकरी :** माननीय सभापति महोदय, हमें कॉन्सटीट्यूशन केवल प्रिंसिपली टैक्स लगाने का अधिकार देता है। हम फिर राज्य सरकार को 10 से 25 प्रतिशत टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार देते हैं। टैक्स 10 प्रतिशत, 12 प्रतिशत या 15 प्रतिशत लिया जाएगा, यह राज्य सरकार का अधिकार है।

हम अपेक्षा करते हैं कि ये पैसे लेने के बाद वे बजट बढ़ाकर पॉल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए काम करें।

इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि पॉल्यूशन करने वाले व्हिकल को लोग तुरंत बदल भी दें। मैंने पिछली बार सदन में बताया था कि जब मैं स्टूडेंट था, तो मैंने एक स्कूटर खरीदा था। वह स्कूटर 24 किलोमीटर प्रति लीटर चलता था ।

मैंने 24 किलोमीटर प्रति लीटर वाला स्कूटर खरीदा था। उन्होंने बोला था कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। आज 85 किलोमीटर प्रति लीटर वाले व्हीकल्स आ गए हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी के साथ जाने में आर्थिक बचत भी है। पुरानी गाड़ियां धुआं छोड़ती रहती हैं और एवरेज कम देती हैं। इनकी मेनटेनेन्स कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। यह कन्ज्यूमर के भी हित में है, इसीलिए धीरे-धीरे लोग इस प्रकार के व्हीकल्स को निकालकर इनकी स्क्रैपिंग करें। स्क्रैपिंग के बाद उनको नए व्हीकल खरीदने पर 5 परसेंट का कंसेशन भी मिलेगा। हमने यह भी किया है। काफी कुछ अन्य कन्सेशन्स भी दिए हैं। देश में डीजल और पुराने व्हीकल्स के कारण जो पॉल्यूशन हो रहा था, उसे धीरे-धीरे कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अल्टीमेटली यह पैसा राज्य सरकार का है। इस पैसे को कहां खर्च करना है, कहां नहीं खर्च करना है, यह उनका अधिकार है। हम केवल 10 से 25 परसेंट तक यह टैक्स ले सकते हैं। 15 साल पुराने जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं और 8 से ज्यादा पुराने जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनके लिए यह अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है।

**माननीय सभापति:** पूरे विश्व में अकेला भारत ही ऐसा देश है, जहां भारत पूछता है कि 'कितना पीता है'। यह कॉंशियसनेस हमारे देश में काफी ज्यादा है। श्री मनीष तिवारी जी।

**श्री मनीष तिवारी:** धन्यवाद सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 में डीजल-पेट्रोल पर जो टैक्स है, उससे 4.3 लाख करोड़ रुपया केन्द्र सरकार कमाएगी । उसके अलावा 13 से 16 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जो एडीशनल सैस और सरचार्ज लगाया गया है, उससे केंद्र सरकार 1.87 लाख करोड़ रुपये कमाएगी। इसके अलावा 39 हजार करोड़ रुपये एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर सैस से कमाया जाएगा, जो पेट्रोल और

डीजल की कीमत का 37 प्रतिशत है। इसके अलावा राज्य सरकारें अपना अतिरिक्त टैक्स लगाती हैं। इसके ऊपर हम 'हरित टैक्स' को लगाने का प्रावधान कर रहे हैं।

माननीय मंत्री जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं और साथ ही विनम्रतापूर्वक यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि अगर हम प्रदूषण कम करना चाहते हैं तो सोच बदलने की जरूरत है। हमको ज्यादा पैसा एमआरटीएस के ऊपर खर्च करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जहां पर सड़क बनती है, वहां पर फुटपाथ नहीं बनता है। क्या आपका मंत्रालय प्रदेश सरकारों को यह एडवाइजरी जारी करेगा कि जहां पर नैशनल हाईवे बनता है या जहां पर वे सड़क बनाएं, उसके साथ फुटपाथ जरूर बनाएं। बाइ-साइकिल ट्रैक जरूर बनाएं, क्योंकि आप जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेंगे, तब तक गाड़ियां बढ़ती रहेंगी, प्रदूषण बढ़ता रहेगा और लोग टैक्स भी देते रहेंगे। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन के साथ एक छोटा सा सवाल है।

**माननीय सभापति :** जितना लंबा प्रश्न होगा, उतना लंबा जवाब होगा।

**श्री नितिन जयराम गडकरी :** माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, उसमें कुछ सच्चाई है। हिंदुस्तान में विशेष रूप से पॉपुलेशन और व्हीकल पॉपुलेशन, इन दोनों की ग्रोथ बहुत फास्ट है। यह एक गंभीर समस्या है। घर में तीन लोग हैं, लेकिन उनके पास पांच गाड़ियां होंगी। पार्किंग के लिए जगह नहीं है, इसलिए वे रोड पर गाड़ियां खड़ी करते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इन्करेज करना चाहिए। यह बात उन्होंने कही है और यह बिल्कुल सही है कि [अनुवाद] सार्वजनिक परिवहन लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त, स्वदेशी होगा और आयात प्रतिस्थापन लाएगा। [हिन्दी] अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे विभाग को [अनुवाद] रोपवे, केबल कार, फनिक्युलर रेलवे और लाइट रेल परिवहन ट्रांसपोर्ट [हिन्दी] का काम दिया है, यानी केवल मीटर गेज और ब्रॉडगेज को छोड़कर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का सारा काम भी दिया है। मैं घोषणा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कल ही मेरी एक डिटेल्ड मीटिंग हुई है और हम उसमें काफी आगे गए हैं। उस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसमें दिल्ली से मुंबई के 1300 किलोमीटर हाईवे को हम ई-हाईवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर ट्रक और बसेज 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इलेक्ट्रिक से चलेंगी, जिस तरह से इलेक्ट्रिक रेलवे चलती हैं। सीमेन्स कंपनी ने

इसकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जर्मनी में रोड बनाई है। उन्होंने मुझे पूरा प्रेजेंटेशन दिया और बातचीत हुई। इस ई-हाईवे पर इस प्रकार के ट्रक और बसेज करने से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 70 परसेंट कम हो जाएगी, जिससे यह काफी सस्ता हो जाएगा। इसमें ट्रॉली बस भी जा सकती है। आपका कहना बिल्कुल सही है राज्य सरकार और भारत सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा प्रायॉरिटी दें।

दूसरी इम्पोर्टेंट चीज आपने कही, वह भी सही है कि पहली प्रायोरिटी वॉटर वेज़, दूसरी रेलवे, तीसरी प्रायोरिटी रोड्स और चौथी एविएशन होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश, कभी-कभी मुझे भी लगता है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है कि अब देश का 85 परसेंट ट्रैफिक रोड पर बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ रहा है। इससे एनएचएआई और हमें फायदा होता है, लेकिन यह चिंता का विषय भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एंक्रेज करने की आपकी बात बिलकुल सही है। सरकार इसके लिए नीति बना रही है और मेट्रो अनेक गांवों-शहरों तक पहुंचा रही है। मेट्रो की प्रति किलोमीटर कॉस्ट 350 करोड़ रुपये है। परसों पीयूष जी के साथ हमारी मीटिंग नागपुर में पहली बार हुई थी। हम लोग 850 किलोमीटर एग्जिस्टिंग ब्रॉड गैज मेट्रो ट्रैक का उपयोग करके, 140 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली और हर स्टेशन पर रूकने वाली मैट्रो का कर रहे हैं। ऐसे अनेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपाय कर रहे हैं। आपने जो बात पेट्रोल-डीज़ल के टैक्सेशन के बारे में कही है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोल-डीज़ल पर जो टैक्स लगते हैं, राज्य और भारत सरकार लगाती है। लेकिन टैक्स को कितना कम करना है या ज्यादा करना है, इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार राज्य सरकार को है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इस बारे में निर्णय करता है। आपने जो भावना बतायी है, वह उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।

आपने फुटपाथ के बारे में जो कहा है, वह बिलकुल सही है। एन.एच.ए.आई. के पुराने रोड- आप सब लोग इसके लिए मुझे प्रपोज़ल दीजिए कि हमारे जो पुराने रोड जो शहर के बीच में से जाते थे और हम बायपास बनाते थे, उसको हम छोड़ देते थे। हम उस पर काम नहीं करते थे। हम कहते थे कि हमने अब नया रोड बना लिया है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। वह रोड, जो शहर के अंदर है और उस पर एनएच का नाम है, उसको हम सीमेंट-कंक्रीट के व्हाइट टॉपिंग से चैंज कर देंगे। वहां फुटपाथ बनाएंगे, साइकिल ट्रैक बनाएंगे, सीनियर सिटिजन के बैठने के लिए जगह भी बनाएंगे। ऐसे करीब 60-70 प्रपोजल मैंने मंजूर किए हैं। आपकी

कॉन्स्टीटयुएंसी में जितने पुराने गांवों और शहरों से जाने वाले एनएच अधूरे पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर न नगर परिषद काम करती है, न कॉर्पोरेशन काम करती है, न स्टेट गवर्नमेंट करती है, उसका प्रपोज़ल मुझे लाकर दीजिए। मैं उसको अच्छे तरीके से कर दूंगा और वहां साइकिल ट्रैक बना दूंगा ।

मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे ई-रिक्शा के लिए हमने किया है। पहले लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे। इसी सदन में आप सब लोगों के सहयोग से हमने बिल पास किया। काफी अड़चनें आयीं और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। लेकिन अब देश में एक करोड़ में से शायद, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में तो आदमी रिक्शा खींचता था, अब वह प्रथा बंद हो गयी है और हमने ई-रिक्शा की शुरूआत की है। हमारी सरकार की गरीबों के लिए, विशेष रूप से जिनका शोषण होता था, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे मनीष जी, अभी एक अच्छी बात आयी है और वह है ई-साइकिल। स्कूटर-मोटरसाइकिल पर डिलीवरी करने पर 6-6.5 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च आता है। मेरे मन में आइडिया है कि ई-साइकिल का खर्च दो रुपये प्रति किलोमीटर आएगा तो क्यों नही ई-साइकिल को हम पॉप्युलर करें और सामानों की डिलीवरी देने के लिए ई-कार्ट और ई-साइकिल को बढ़ावा देंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। हमारे राज्यमंत्री मनसुख भाई पार्लियामेंट रोज साइकिल चलाकर आते थे। उनका बहुत अच्छा उदाहरण है। हमें साइकिल को और पॉप्युलर करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है। आप सब लोग अपने यहां साइकिल को एंकरेज कीजिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के कलेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे सेक्रेटरी युद्धवीर मलिक थे, उनका बेटा आईएएस ऑफिसर है, जो बिजनौर में कलेक्टर है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में पड़ी पुरानी साइकिल खरीद ली, उसको पीला रंग दिया और ऐसी दो-ढाई सौ साइकिल गरीब लोग यूज़ कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में साइकिल और स्कूटर सड़ रही थीं क्योंकि न्यायालयों में केसेस होते हैं। उसका ऑक्शन निकालकर, रिपेयर करके एनजीओ को देकर और हम अलग-अलग जगह रख देंगे तो लोगों को फायदा होगा और पेट्रोल डीज़ल से भी मुक्ति मिलेगी। इसके लिए कोई अलग से मेकेनिज्म करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव आप सब लोग भी जरूर कीजिए। हमारे विभाग की ओर से जहां भी सहयोग होगा, हम लोग जरूर करेंगे ।

[अनुवाद]

**माननीय सभापति:** प्रश्न संख्या 422। श्री सी.पी. जोशी।

**(प्रश्न 422)**

[हिन्दी]

**श्री सी.पी. जोशी:** सभापति महोदय, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री महोदय का विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा कि पिछले 6-7 वर्षों में देश भर में सड़कों के क्षेत्र में हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो या इस दिशा में नये नवाचार हों, विशेष रूप से मंत्री महोदय का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने फोर लेन, सिक्स लेन और कई नवाचार इस देश में दिए हैं। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय आपका बहुत-बहुत आभार।

देश में फोर लेन और सिक्स लेन के किनारे पर बहुत बड़े क्षेत्र में जमीन हाईवे के पास है और वह आपके मंत्रालय के पास है। देश में बढ़ती हुई ऊर्जा को देखते हुए क्या सोलर एनर्जी के बारे में, इस दिशा में कोई विभाग विचार कर रहा है। क्योंकि रेलवे ने भी इस दिशा में नवाचार किया है। आज वहां अगर सोलर एनर्जी आती है, रात्रि को लाइट लगाने के लिए या और कोई कमर्शियल यूज के लिए, तो क्या सड़क परिवहन मंत्रालय इस दिशा में कोई विचार कर रहा है?

**श्री नितिन जयराम गडकरी :** माननीय सभापति महोदय, यह बहुत अच्छी सूचना है। ऑलरेडी हम टोल प्लाज़ा एरिया, रेस्ट एरिया, ट्रक ले बाय, बस-बे, बस शेल्टर्स, ग्रेट सैप्रेटर स्ट्रक्चर्स, इंटरचेंजिज फ्लाईओवर्स, अण्डरपासेज़, व्हीकुलर पेडस्ट्रियन एण्ड ओवरपासेज़, बिल्टअप सेक्शंस, आदि अनेक जगहों पर इस सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। इसके अनुभव भी आए हैं। हमने अभी दिल्ली-मेरठ हाईवे पर, जो पहला 16 लेन रोड दिल्ली में बनाया था, वहां हमने सोलर पैनल्स पर लाइट्स लगाए थे तो हमारे सोलर पैनल्स ही लोग चोरी कर के ले गए। उसके कारण दिक्कत आई। यह दिल्ली के एरिया में हुआ था। पर हम लोग अभी ऐसा कर रहे हैं कि ऊपर लगाएंगे जहां कोई पहुंच नहीं पाएगा।

दूसरा, इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस हाइवे के दुहाई इंटरचेंज पर 382 केडब्ल्यूपी और डासना इंटरचेंज पर 450 केडब्ल्यूपी कैपेसिटी का लगाया है और इसके साथ हम

लाइट भी इसके ऊपर लगा रहे हैं। [अनुवाद] रोशनी के लिए कम से कम 40 लाख स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है। [हिन्दी] वह भी इसमें से मिल रही है। हम लाइटिंग लगभग सोलर पर कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसकी जितनी जगह खाली हो सकती है, पहले पेरिफेरल रोड बाइंडिंग में फिर लगे तो रोड बड़ी करनी पड़ती है तो दिक्कत आती है। निश्चित रूप से जहां-जहां हो सकेगा, वहां सोलर की व्यवस्था तैयार कर के, निश्चित रूप से उसको एनकरेज करने की कोशिश करेंगे।

**श्री सी.पी. जोशी:** सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। इस दिशा में राजस्थान में फोर लेन से सिक्स लेन भी बने हैं। ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर भी है। गोल्डन कोरिडोर भी है। क्या राजस्थान में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कुछ रोड्स को लेने का मंत्रालय ने कोई विचार किया है?

**श्री नितिन जयराम गडकरी :** सम्माननीय स्पीकर महोदय, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जहां-जहां मौका है, जहां-जहां लाइट लग रही हैं, वहां-वहां हम रूफ टॉप पर कर रहे हैं। वैसे यह इस विषय से संबंधित नहीं है, पर अभी वर्ल्ड बैंक ने हमारे एमएसएमई विभाग को चार हजार करोड़ रुपये दिए हैं, स्टेट बैंक उसकी ऐजेंसी है। जितनी हमारी एमएसएमई की इंडस्ट्रीज़ हैं, वे रूफ टॉप सोलर लगाएंगी। उसके लिए वर्ल्ड बैंक का बहुत कम ब्याज पर लोन उपलब्ध है। निश्चित रूप से सोलर की ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। प्रधान मंत्री जी का भी इसमें बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट है। हम इसमें अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने गुजरात में वर्ल्ड के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटान किया था। हम लोग लगातार, जहां-जहां जगह मिलती है, वहां प्रयास करते हैं। केवल एक ही छोटा रिज़र्वेशन मेरे मन में है, जो सम्माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हम रोड की विड्थ, जैसे अभी दिल्ली मुंबई में हमने 120 मीटर विड्थ जो है, जनरली रोड 48 मीटर में होती है। जो खाली जगह होती है, कभी भविष्य में जब हम लोग रोड को एक्सपेंड करते हैं तो उसके लिए जगह की जरूरत होती है। वहां पेड़ लगाते हैं तो हमको फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि पेड़ अगर उठाना है तो हमारी परमिशन लो। तो ये पेड़ लगाने से लोग बोलते हैं। नहीं लगाने से नहीं दिक्कत पैदा होती है। तो कभी न कभी ऐसी अड़चनें भी आती हैं। अगर सोलर लगा देंगे और रोड बड़ा करने के लिए फिर निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे सर्विस प्लेसेज़ हैं, हमारी एमिनिटीज़ हैं, हमारा टोल नाका है, रूफ टॉप जितना आता है, उसमें हम कर रहे हैं। रोड के बीच में भी कहीं सोलर पर ही लाइट लगती है। हमारे ऊर्जा मंत्री जी, सिंह साहब ने

इसमें काफी अच्छा काम किया है। उनसे और भी कुछ नए आइडियाज़ ले कर, रोड में इसमें क्या हो सकता है, वह जरूर हम करने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

**माननीय सभापति:** प्रश्न संख्या 423 **।** श्री विद्युत बरन महतो।

**(प्रश्न 423)**

[हिन्दी]

**माननीय सभापति:** महतो जी, सप्लिमेंट्री पूछिए।

**श्री विद्युत बरन महतो:** सभापति महोदय, शायद सदन में कोई ऐसा सदस्य होगा जो माननीय मंत्री जी की कार्यकुशलता का कायल नहीं है। मैं अपने क्षेत्र का एनएच-33, जो ओडिशा से संबंधित था, वह यूपीए सरकार के समय से लगभग छह साल से, कभी हाईकोर्ट, कभी सीबीआई, अैर कभी कॉन्ट्रेक्टर, इसी तरह से यह सन् 2010 से झूल रहा था।

माननीय और यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी का आगमन हुआ। माननीय मंत्री जी ने एनएच-33 बनवाया। जमशेदपुर, जो ऐसी उद्योग नगरी है, जहां लगभग 10-12 उद्योग हैं, टाटा स्टील भी है, यहां लगभग 20,000 गाड़ियों का आना-जाना होता है। हम पिछले सप्ताह माननीय मंत्री से मिले थे और अनुरोध किया कि जमशेदपुर में एलिवेटिड कॉरिडोर नहीं बना तो यह जामनगर बन जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी को कार्यकुशलता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने तुरंत फोर लेन नहीं बल्कि सिक्स लेन एलिवेटिड रोड की स्वीकृति दी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को जमशेदपुरवासियों की तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूं।

माननीय मंत्री जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में लगभग 18 सेवाओं में ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण आधारित संपर्क रहित सेवा के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इस अत्यंत जनहित एवं क्रांतिकारी शुरूआत के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अशिक्षित एवं निर्धन व्यक्ति, जिन्हें कम्प्यूटर शिक्षा में प्रवीणता हासिल नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की सहायता में आर.टी.ओ. में किस प्रकार व्यवस्था की जाएगी? नागरिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं, क्योंकि साइबर अटैक और हैकिंग जैसे साइबर क्राइम से ई-परिवहन और ई-वाहन की वेबसाइट को बचाना नितांत आवश्यक है।

**श्री नितिन जयराम गडकरी:** माननीय सभापति जी, माननीय मोदी जी ने जब से प्रधान मंत्री पद की शपथ ली है, तब से मोदी जी लगातार ईज़ ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं। हमने करीब 1400 से 1500 पुराने कानून खत्म कर दिए। सभी डिपार्टमेंट्स को उन्होंने कहा कि ईज़ ऑफ बिजनेस के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। इतना ही नहीं, ईज़ ऑफ बिजनेस पर हमने डिपार्टमेंट में क्या-क्या किया है, इसके बारे में उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट मांगी और हमें एक्टिवेट और मोटिवेट किया।

महोदय,विशेषकर आप सबका काम आर.टी.ओ. में होता है, यह मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आर.टी.ओ में सबसे बड़ा रिफॉर्म किया है - [अनुवाद] व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग की सेवाओं को नागरिक-केंद्रित और परेशानी मुक्त बनाने का ऐतिहासिक कदम; अब आधार-आधारित प्रमाणीकरण के साथ 18 संपर्क रहित आर.टी.ओ सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं - आर.टी.ओ. कार्यालय जाने की कोई ज़रूरत नहीं है; इससे आर.टी.ओ. में आनेवाले लोगों की संख्या कम होगी और आर.टी.ओ. अधिकारियों की दक्षता बढ़ेगी; इससे बिचौलियों और दलालों द्वारा किया जानेवाला भ्रष्टाचार समाप्त होगा; तथा सरकार पारदर्शी, समयबद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त कार्यप्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। यह अपनी तरह का पहला कदम है। [हिन्दी] यह रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ। अब घर में बैठकर काम हो सकता है। मैं इसकी लिस्ट पढ़कर बता रहा हूं - लर्निंग लाइसेंस, घर में बैठकर एप्लाई करो मिल जाएगा। [अनुवाद] इस सूची में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण शामिल है जिसके लिए गाड़ी चलाने

की क्षमता की जांच की ज़रूरत नहीं है; डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस; ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र में पता बदलना; अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना; लाइसेंस से वाहन की श्रेणी का समर्पण; मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन; पूरी तरह से निर्मित बॉडी वाले मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन; पंजीकरण का डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन; पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए एन.ओ.सी देने के लिए आवेदन; मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण का नोटिस; मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन; पंजीकरण प्रमाणपत्र में पते में बदलाव की सूचना; मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन; राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन; राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिन्ह के आवंटन के लिए आवेदन; किराया-खरीद समझौते की पुष्टि; और किराया-खरीद समझौते को समाप्त करना।

हमने सभी राज्यों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए लिखा है। [हिन्दी] इसमें एक और अच्छा काम किया है। इसकी वजह से आज पूरा आर.टी.ओ. मुझसे नाराज है। आर.टी.ओ. ऑफिस में किसी को जाना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा काम, जिसका करोड़ों लोग फायदा उठा रहे हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी गाड़ी के पेपर्स, अब आपके मोबाइल में है। हमने एक सिक्योरिटी इलेक्ट्रोनिक लॉकर बनाया है, उसमें रख सकते हैं। जब पुलिस आपको कहीं रोकती है, तो आप अपना मोबाइल फोन निकालकर लाइसेंस दिखा सकते हैं। अब उसको भी साथ रखने की जरूरत नहीं है। हमने ईज ऑफ बिजनेस में बहुत अच्छा काम किया है। इसमें एन.आई.सी. ने हमें डायरेक्टली सर्पोट किया है और स्टेट को भी कर रहे हैं। बाकी सेन्ट्रलाइजेशन के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से काम हो रहे हैं।

डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन, यह एक बहुत बड़ी बात है। इसमें आपने सहयोग किया है। नई गाड़ी खरीदने के बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं करता है। नियम ऐसा था कि डीलर वह गाड़ी आर.टी.ओ. ऑफिस में लेकर जाएगा, वह नम्बर देगा, तब गाड़ी वापस आएगी। यह सब क्यों हो रहा था, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कि डीलर ही रजिस्ट्रेशन ई-मेल से भेज देगा और इंटरनेट के साथ बताएगा। वही नम्बर

भेजेगा, ठप्पा लगाएगा और हो जाएगा। अब आर.टी.ओ. भेजने की जरूरत नहीं है। प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ईज ऑफ बिजनेस में इतने बड़े परिमाण पर रिफॉर्म्स हुए हैं। मुझे लगता है कि एक बार आप सभी सदस्यों को अलग-अलग डिपार्टमेंट में जो चेंजेज हुए हैं, उन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद भी, यदि आपको लगता है कि जनता को तकलीफ़ होती है, तो आप हमें बताइए। हम पूरी तरह से आपको इसमें मदद करेंगे। हमने नेशनल परमिट को भी इंटरनेट पर डिजिटल कर दिया है। अब परमिट लेने के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है। जो हिस्सा फीस का मिलता है, उसको हम अलग-अलग राज्यों में बंटवा देते हैं। चाहे ट्रक वाले हों, प्राइवेट बस वाले हों, परमिट लेना, चुनाव जीतने से भी कठिन काम था। पर, अब यह पूरी तरह से डिजिटेलाइज हो गया है। यह ईज ऑफ बिजनेस ही हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हर विभाग में यह काम बहुत अच्छा हुआ है।

**माननीय सभापति:** आपने जो प्रश्न पूछा था, क्या उस पर आपकी शंका दूर हुई?

**श्री बिद्युत बरन महतो:** माननीय मंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्रालय नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जनप्रिय एवं यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता प्रशासन को सरल, सुगम, भ्रष्टाचार रहित बनाना है। माननीय मंत्री जी आपकी दूरदर्शिता और कार्यकुशलता के फलस्वरूप सरकार आधार प्रमाणीकरण आधारित सेवाओं का दायरा बढ़ा रही है। भारतीय सड़क को पर्याप्त सुगम और निर्बाध सुविधा देने के लिए माननीय मंत्री जी ने कई घोषणाएं की हैं। परन्तु, सड़क, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं टोल बूथों की संख्या बहुत अधिक है, जहां वाहनों को कतारों में लगना पड़ता है। इससे ईंधन और धन की बर्बादी होती है, साथ ही साथ, प्रदूषण भी बढ़ता है।

अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार टोल बूथों की संख्या कम करने तथा टोल टैक्स घटाने के लिए कौन-सी नीति बना रही है, ताकि, पर्यावरण की रक्षा हो, ईंधन की बचत हो तथा आम आदमी की जेब पर कम बोझ पड़े?

**श्री नितिन जयराम गडकरी:** सभापति महोदय, वैसे, कोविड के काल में सभी जगह नुकसान हो रहा है। अभी भी हमारे कुछ हाईवेज किसान आंदोलन के कारण ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। पिछले साल हमारे टोल की इन्कम 24,000 करोड़ रुपये थी। इस साल कोविड और आंदोलन को देखकर मुझे लगा कि इनकम 10,000

करोड कम होगी और वह 14,000 करोड़ पर आएगी। लेकिन, हमने आप सबके सहयोग से फॉस्ट टैग सिस्टम लागू किया। अभी 93 परसेंट लोगों ने फॉस्ट टैग ले लिया है। जयपुर जाने के दौरान खेड़की टोल नाका के पास लोगों को आधा-आधा घंटा रूकना पड़ता था। अब हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि कौन व्यक्ति किस टोल नाके के पास कितने मिनट रूका है, उसका जवाब मैं एक मिनट में दे सकता हूं। इसके लिए, हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। उसको चेयरमैन, एनएचएआई और मैं स्वयं मॉनिटर करता हूं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब कहीं भी तीन मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। पूरी तरह से फॉस्ट टैग सिस्टम हो गया है। अब हमारी टोल इन्कम कम होने के बजाय, कोविड और किसान आंदोलन होने के बाद भी 10,000 करोड़ रुपये बढ़ी है। अब हमारी इन्कम 34,000 करोड़ रुपये हो गयी है।

जो फास्टैग है, अभी यह 93 प्रतिशत ही हुआ है। कुछ राज्यों में लोग डबल टोल दे रहे हैं, लेकिन वे फास्टैग यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? आपको उसका कारण मालूम है। कोई इन्कम टैक्स की चोरी करता है, कोई जीएसटी की चोरी करता है, कोई इधर का माल उधर करता है, वह रजिस्टर नहीं होना चाहता है। लेकिन अभी मैंने कहा है कि पुलिस और कलेक्टर को आर्डर दो, उनको अरेस्ट करो और उन पर कार्रवाई करो। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में इस देश में नंबर दो का धंधा नहीं चलेगा। उन पर भी कार्रवाई होगी और यह 100 प्रतिशत होगा।

कल ही मेरे यहां एक मीटिंग है। अब हम इसके बाद जीपीएस सिस्टम टोल नाके कर रहे हैं। हम टोल नाकों को खत्म कर देंगे। नई गाड़ियों में तो जीपीएस लगकर आता है, लेकिन पुरानी गाड़ियों के लिए हम अपनी तरफ से जीपीएस खरीदकर उनमें लगा देंगे। जैसे फास्टैग है। वह जीपीएस सैटेलाइट से जुड़ा होगा। आप जहां से एंट्री करेंगे, वहां पर रजिस्टर हो जाएंगे और आप जहां से बाहर निकलेंगे, वहां भी रजिस्टर हो जाएंगे। आपको उतना ही टोल देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं और यह बात सही भी है कि शहर के बाहर टोल नाका खड़ा किया गया है। वह पुरानी सरकार के समय किया गया था, हम उनको नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स क्षतिपूर्ति मांगते हैं। अब वह बीमारी भी खत्म हो जाएगी। ट्रैफिक पूरी तरह से ट्रांसपैरेन्ट हो जाएगा और एक सिस्टम होगा।

एक सम्माननीय सदस्य ने जमशेदपुर की बात बताई थी। हम लोग चेन्नई और पुणे में एक नया सिस्टम कर रहे हैं। उसके लिए मैंने एक अच्छे डिजाइनर से कहा है कि सबसे पहले नीचे 6 या 8 लेन की एक रोड होगी, उसके ऊपर फ्लाईओवर होगा, उस फ्लाईओवर के ऊपर एक और फ्लाईओवर होगा, फिर उसके ऊपर मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। हमने ऐसा चेन्नई और पुणे के लिए डिजाइन किया है। हमने जमशेदपुर के लिए भी नीचे रोड, उसके ऊपर फ्लाईओवर, उसके ऊपर एक और फ्लाईओवर होगा, क्योंकि वहां पीएसयूज़ काफी ज्यादा हैं। हम शेखावत जी के भी संसदीय क्षेत्र में ऐसा कर रहे हैं। अब केवल बिल्डिंग ही नहीं बनेगी, बल्कि फ्लाईओवर भी डबल डेकर और तीन लेयर के बनेंगे। हमारे यहां नागपुर में रोड, रोड के ऊपर फ्लाईओवर और उस फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो चलेगी। यह देश का पहला डिजाइन होगा, जिसे काफी लोग देखेंगे। उसको काफी लोगों ने पसंद भी किया है और हम आगे इस पर काम करेंगे।

**माननीय सभापति :** श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक - उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 424। श्री सुनील बाबूराव मेंढे।

**(प्रश्न 424)**

**श्री सुनील बाबूराव मेंढे:** सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि केन्द्र की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जो कॉलेज गोइंग स्टूडेन्ट्स हैं, जिनको राष्ट्रीय सेवा योजना में लगाया जाता है, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उनके माध्यम से सोशल वर्क किया जाता है।

माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, जिससे मुझे भी पता चला है कि खासकर हमारे महाराष्ट्र में सवा तीन लाख बच्चे इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं और वे सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। मुझे यह जानकर बहुत हर्ष हुआ है कि इन सवा तीन लाख बच्चों में से करीब-करीब 95,000 बच्चों ने कोविड

पैनडेमिक कंडीशन में 27 लाख मास्क बनाए हैं, जो उस समय कोविड पैनडेमिक कंडीशन की सबसे बडी नीड थी, वह पूरी की है। उनको ट्रेनिंग देकर यह काम पूरा किया गया है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी और खासकर उन बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से पहला सवाल यह है कि हमारे देश में कुल मिलाकर 35 लाख बच्चे इस योजना के तहत काम कर रहे हैं। उनमें से खाली सवा तीन लाख बच्चे हमारे महाराष्ट्र प्रदेश से ही हैं। क्या हम लोग इस संख्या को बढ़ाने के बारे में प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस संख्या में अधिक वृद्धि हो सके तथा और भी अधिक संख्या में बच्चे इसमें सहभागिता करके हमारे देश को सेवा प्रदान कर सकें?

**श्री किरेन रिजीजू :** सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र के बारे में जो जिक्र किया है, मैंने उसका जवाब भी दिया है। अभी लगभग 37 लाख के आसपास हमारे वॉलंटियर्स हैं। इसमें महाराष्ट्र का शेयर बहुत अच्छा है, क्योंकि वह एक बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए वहां छात्रों की जनसंख्या भी ज्यादा है। हम चाहते हैं कि इस संख्या को किसी भी तरह से बढ़ाया जाए। जब कोविड शुरू हुआ था, तब हमने एक टारगेट रखा था कि हमारे देश में एक करोड़ वॉलंटियर्स तैयार होने चाहिए। किसी भी परिस्थिति या कोई इमरजेन्सी सिचुएशन आ जाए, तो हमारे देश का जो यूथ वॉलंटियर्स है, वह मिनिमम एक करोड़ होना चाहिए।

हमारे पास इस वक्त लगभग 70 लाख यूथ वॉलंटियर्स मौजूद हैं और हमारे द्वारा 1 करोड़ की संख्या के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। कोविड के चलते जो बजटरी एलोकेशन्स हैं या कार्यक्रम करने के लिए जो बजट होता है, उस बजट में बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हम वॉलंटियर्स की संख्या को नहीं बढ़ा पाए हैं। मैंने माननीय सदस्य के सुझाव को अच्छे से सुना है। हम प्रयास करेंगे कि हमारे देश में एक करोड़ यूथ वॉलंटियर्स तैयार हो जाएँ, जिसमें महाराष्ट्र से कम से कम पांच लाख वॉलंटियर्स होने चाहिए।

**श्री सुनील बाबूराव मेंढे :** सभापति महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब यह पेंडेमिक सिचुएशन आई और हमने देखा कि काफी मात्रा में वॉलंटियर्स की जरूरत है, उस समय मेरे खुद के स्कूल के बच्चे जो आठवीं से दसवीं क्लास के बीच में हैं, उनके मेरे पास काफी फोन आ रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या हम भी इसमें अपनी कुछ सेवा दे सकते हैं? इस माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आठवीं से दसवीं

क्लास के बच्चों की उम्र लगभग 13 से 15 साल के बीच में होती है तो अगर ऐसे बच्चे भी इस योजना का लाभ लें और उन्हें ट्रेनिंग दी जाए तो ये बच्चे भी हमारे देश में सेवा देने के लायक हो सकते हैं। यह सुझाव मैं आपके माध्यम से देना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि क्या हमारी सरकार ऐसा विचार कर रही है?

**श्री किरेन रिजीजू :** सर, अभी हम दो कैटेगरीज़ में नेशनल सर्विस स्कीम चला रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी लेवल पर चल रही है, जो प्रोग्राम कॉर्डिनेटर के माध्यम से चलाई जाती है। दूसरी, +2 काउंसिल लेवल और कॉलेज प्रोग्राम ऑफिसर के माध्यम से चलाई जाती है। अभी हमारे पास मैट्रिक से नीचे की योजना नहीं है, लेकिन हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा और भी कार्यक्रम चलते हैं, जैसे नेहरू युवा केन्द्र संगठन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन है। इसके माध्यम से हम इन्हें अलग-अलग स्कीम्स में जोड़ सकते हैं। माननीय सदस्य ने कोविड के समय वॉलंटियर्स के काम का जिक्र किया है। मेरे पास उनकी सूची है और जब आप सुनेंगे तो आपको गर्व होगा। वॉलंटियरिज्म का कांसेप्ट इंडिया को काफी आगे लेकर गया है। देशभर में बहुत ही सीमित साधन के साथ, मास्क बनाने से लेकर लोगों को सहायता देने और उनमें अवेयरनेस क्रियेट करने तक हमारे युवा साथियों ने जो काम किया है, वह बहुत सराहनीय है। इसके साथ ही माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो आह्वान किया, उसके जरिए हमारे देश के सभी कोविड वॉरियर्स के साथ यूथ वॉलंटियर्स जुड़े रहे। आज मैं इस सदन के माध्यम से देश के सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

**श्री विनायक भाउराव राऊत :** सभापति महोदय, धन्यवाद। राष्ट्रीय सेवा योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से देश के करोड़ो युवक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश करते हैं। मैं मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसमें महाराष्ट्र से कम से कम पांच लाख बच्चें शामिल होने की अपेक्षा की है। निश्चित ही अभी सवा तीन लाख है तो पांच लाख होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो बच्चें शामिल होते हैं और जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि स्कूल और कॉलेज के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस योजना के अंदर शामिल करने की आवश्यकता है। इसलिए इस योजना का ज्यादा प्रचार-प्रसार करने की भी आवश्यकता है। इसके साथ-साथ जो बच्चे इस योजना में

सोशल वर्क करने के तौर पर शामिल होते हैं, उनको प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। क्या इस योजना में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स या बच्चों को ट्रांसपोर्ट के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है? इसके साथ-साथ मेरा एक और सुझाव है कि आप इन स्वयं सेवकों को बढ़ावा देते हैं तो इसमें जो लास्ट कैडर होता है, उसके अंतर्गत पूरे स्टेट में केवल 30 अवार्ड दिए जाते हैं। उनकी संख्या करीब सवा तीन लाख होती है तो सिर्फ 30 पुरस्कार बहुत कम हैं। अगर आप पुरस्कार में बढ़ोतरी करेंगे तो वे और ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। मंत्री जी का इस बारे में क्या विचार है?

**श्री किरेन रिजीजू:** माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आखिरी वाले प्वाइंट को पहले बता देता हूं। हम एक तो यूनिट के हिसाब से अवार्ड देते हैं और 30 इंडिविजुअल्स को देते हैं। हमने इसकी प्राइज मनी भी बढ़वाई है। पिछले साल हमने इसको बढ़ा दिया था। अभी हम यूनिट्स को फर्स्ट प्राइज के रूप में **5** लाख रुपये देते हैं और सेकण्ड प्राइज के रूप में 3 लाख रुपये देते हैं। जो 30 वालंटियर्स को अवार्ड्स दिए जाते हैं, उसमें हम एक वालंटियर को 1 लाख रुपये देते हैं। आज ही सुबह मैंने अपने सेक्रेटरी और ऑफिसर्स को कहा है कि हम इसके दायरे को थोड़ा बढ़ाएंगे और इन अवार्ड्स को हम फर्स्ट, सेकण्ड और थर्ड - तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। आने वाले साल में मैं चाहता हूं कि इसका दायरा भी बढ़े और आपने जो सुझाव दिया है कि इस संख्या को 30 से बढ़ाया जाए, उस पर भी हम जरूर विचार करेंगे। अगर मैं अभी घोषणा कर दूंगा और अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं हुए तो हम उसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सुझाव को हम जरूर मानें।

सर, मैं एक इन्फार्मेशन देना चाहता हूं कि हम अपने वालंटियर्स को अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना चाहते हैं और आज देश में कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके साथ हमने एमओयू किए हुए हैं, एग्रीमेंट किया है, वे हमारे यूथ वालंटियर्स को ट्रेनिंग देंगे। इस बार हमारे यूथ वालंटियर्स ने, खासकर यह सवाल एनएसएस के बारे में है, बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे ब्लड डोनेशन में इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दी है, वह देश में नम्बर-1 है। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा ट्री प्लांटेशन भी हमारे एनएसएस वालंटियर्स ने किया है। [अनुवाद] इसी प्रकार से पूरे देश में सबसे ज्यादा आरोग्य सेतु एप डाउनलोड भी हमारे एनएसएस वालंटियर्स ने करवाया

है। इनके कामों की इतनी लम्बी सूची है कि अगर मैं उनकी गिनती करूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मैं उनके कामों की प्रशंसा करना चाहता हूं।

**माननीय सभापति :** प्रश्न संख्या 425 । श्री रविन्दर कुशवाहा ।

**(प्रश्न 425)**

**श्री रविन्दर कुशवाहा:** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यमुना नदी तट के विकास के साथ-साथ, नदियों का भी विकास होना चाहिए, उनके तटबन्ध अच्छे होने चाहिए। इसी के साथ, हमारे यहां सरयू नदी है। हमारे देवरिया जिले में सरयू नदी के किनारे बरहज नाम का स्थान है, जहां पर पुराने जमाने में बड़े-बड़े जलपोतों के द्वारा व्यापार होता था और बरहज बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र था। माननीय मंत्री जी ने सदन में भी घोषणा की थी कि हल्दिया से लेकर हावड़ा तक हम नए जलमार्ग का निर्माण कर रहे हैं। उसी से संबंधित वह जलमार्ग हमारे बलिया से होकर गुजरता है और बलिया से देवरिया में सरयू नदी के तट पर स्थित बरहज, जो एक व्यापारिक केन्द्र है, लगा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या बरहज को जलमार्ग से जोड़कर, पहले की तरह उसे व्यापारिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है?

**श्री रतन लाल कटारिया:** सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरयू नदी के घाटों को विकसित करने के लिए एक व्यापक योजना बनी है और उस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्लान बना रही है। जैसे ही उसके बारे में कोई कंक्रीट जानकारी मिलेगी, तब उसके आगे की कार्यवाही होगी।

**श्री रविन्दर कुशवाहा:** सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे देवरिया जिले में, सरयू नदी के किनारे पर मईल नामक स्थान पर बहुत बड़े सन्त देवरहा बाबा का आश्रम था। देवरहा बाबा के बहुत बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु लोग हैं। हर साल उनके आश्रम पर, उनके दिवंगत होने के

बाद भी, वे लोग पूजा करने आते हैं। वह स्थान नदी के किनारे ही है। क्या मईल नामक स्थान पर पर्यटन स्थल के रूप में, श्रद्धा के केन्द्र देवरहा बाबा के दर्शन-पूजन के लिए नदी के तट पर सरकार कोई व्यवस्था कर सकती है?

**श्री रतन लाल कटारिया :** सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य ने धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है, लेकिन जो प्रश्न है, वह पर्यटन विभाग से संबंधित है। इस बारे में वह विभाग ही कोई निर्णय ले सकता है।

**माननीय सभापति :** श्री रवि किशन जी - उपस्थित नहीं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी।

**श्री राजेन्द्र अग्रवाल:** आदरणीय सभापति जी, मेरठ से काली नदी होकर गुजरती है, जो सहारनपुर से चलती है। यह कन्नौज में गंगा में जाकर मिल जाती है। यह गंगा की सहायक नदी है। यह देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। मेरठ के निकट 50 गांव पानी की दृष्टि से इतने विषाक्त हो गए हैं कि वहां पर हेपेटाइटिस बी और कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। इसे पानी के प्रदूषण से मुक्त करने के लिए मार्च, 2018 में 682 करोड़ रुपये की योजना 'नमामि गंगे योजना' में मंजूर हुई थी, लेकिन उसका काम बहुत धीरे चल रहा है। वह नदी अभी भी प्रदूषित है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि इस काम की गति को बढ़ायें और जिस प्रकार से गंगा की सहायक नदी होने के नाते, यह विषय गंगा के प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि इसको कब तब पूरा करने की सरकार की योजना है?

**श्री रतन लाल कटारिया :** माननीय सभापति जी, जो मूल प्रश्न है, वह यमुना नदी से संबंधित है। मैं इस बारे में माननीय सदस्य को इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जहां तक यमुना के बारे में प्रश्न है, हम वृंदावन में 177 करोड़ रुपये की लागत से एक योजना बना रहे हैं, जिससे यमुना के पानी में सुधार आ सके।

**श्रीमती मीनाक्षी लेखी:** सभापति महोदय, धन्यवाद। मुझे एक्चुअली यमुना पर प्रश्न पूछना था, क्योंकि दिल्ली में यमुना की जो हालत है, वह आप सबके सामने ही है। हो सकता है कि अभी नियमों में कंफ्यूजन खत्म हो गया है तो अब यमुना की स्थिति भी बेहतर होगी, लेकिन जो मेरा प्रश्न है, वह जलमार्ग से संबंधित है। ऐलेप्पी के अंदर पेपर पर एक जलमार्ग की योजना बनाई हुई है। हमने इसी हफ्ते की शुरूआत में देखा कि वहां पर हायसिंथ लगा हुआ है और जलमार्ग के नाम पर वेंबनाड लेक में कोई काम नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी, इस सदन को आश्वासन देंगे कि केरल के अंदर जो जलमार्ग की परियोजना है, क्या उसकी स्थिति में अधिक काम करने का प्रयास कर रहे हैं?

**श्री रतन लाल कटारिया :** सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अदंर यमुना को लेकर 800 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्य कर रही है। यमुना के सौंदर्यीकरण को लेकर, उसकी ग्रीनरी को बनाए रखने के लिए 10 प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं और उन पर कार्रवाई चल रही है।

**डॉ. सत्यपाल सिंह:** सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न में यह लिखा है कि जो यमुना के साथ-साथ बहने वाली दूसरी नदिया हैं, उनमें तीन नदियां - काली, कृष्णा और हिंडन ऐसी हैं, जो यमुना में मिलती हैं। वे नदियां छ: जिलों को परेशान कर रही हैं। उनमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और नोयडा हैं। इन नदियों से 108 गांव प्रदूषित हैं। इससे लोगों में कैंसर बढ़ रहा है, अलग-अलग तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं और इसमें एनजीटी का आदेश भी है। सरकार ने बागपत में यमुना के ऊपर एक वॉटर फ्रंट की घोषणा की थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन तीन नदियों का प्रदूषण कब तक दूर होगा और बागपत में वॉटर फ्रंट कब तक आएगा?

**श्री रतन लाल कटारिया :** माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने काली नदी के लिए एक विशेष परियोजना के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इसको लेकर एक परियोजना मंजूर की गई है। विश्व बैंक इस परियोजना में सहायता करेगा। इस परियोजना को वर्ष 2022 तक पूरा करने का हमारा लक्ष्य है।

**माननीय सभापति :** प्रश्न संख्या 426 । डॉ उमेश जी. जाधव ।

**(प्रश्न 426)**

[अनुवाद]

**डॉ उमेश जी.जाधव**: धन्यवाद, सभापति महोदय। वर्तमान में, कलबुर्गी में एक रिंग रोड है, जिसका नाम एनएच 50 और एनएच 150ई है, जो कलबुर्गी शहर की जीवन रेखा बन गया है। चूंकि शहर बहुत तेजी से मौजूदा रिंग रोड के बाहरी हिस्से में काफी आगे तक बस गया है, इसलिए स्थानीय शहर के ट्रैफिक के साथ-साथ एनएच 150ई, एनएच 50 और एनएच 150 के पूरे ट्रैफिक को मौजूदा रिंग रोड पर यात्रा करनी पड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप भारी ट्रैफिक जाम होता है और लोगों को वाहन चलाने में परेशानी होती है।

व्यस्ततम समय में, मौजूदा रिंग रोड पर यातायात का घनत्व लगभग 45,000 पी.सी.यू.होता है। इस सड़क पर आए दिन कई दुर्घटनाएं हो रही हैं।

इस रिंग रोड का काम एल एंड टी को आवंटित किया गया था लेकिन उन्होंने एनएच-50 और एनएच-150ई पर सर्विस रोड का काम पूरा नहीं किया है। प्रमुख जंक्शन भी अभी तक नहीं बन सका है। वर्तमान परिदृश्य में, राम मंदिर क्रॉस, हुमनाबाद क्रॉस और महबूब नगर में मिनी फ्लाईओवर का निर्माण बहुत ज़रूरी है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

**श्री नितिन जयराम गडकरी :** सर, सम्माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है कि वह 45 हजार पीसीयूज की ट्रैफिक है। इस रोड की वाइंडिंग करने और फ्लाईओवर बनाने के लिए डीपीआर बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से उसको बनाने के बाद इस समस्या का समाधान होगा।

[अनुवाद]

**माननीय सभापति**: आप एक संक्षिप्त दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

**डॉ. उमेश जी.जाधव**: महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न पहले अनुपूरक प्रश्न से ही संबंधित है और काफी महत्वपूर्ण है तथा यह मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए समय की मांग है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से कई बार मिल चुका हूँ। यातायात की सुरक्षित, सुचारू और भीड़-भाड़ मुक्त आवाजाही के लिए नए कलबुर्गी बाईपास की जरूरत है।

बाईपास की प्रस्तावित लंबाई 41.43 कि.मी है, जो एन.एच-150ई के जंक्शन से शुरू होकर एन.एच-50 के जंक्शन पर समाप्त होती है। प्रस्तावित बाईपास साइकिल लेन सहित चार लेन वाला मार्ग है। एन.एच-150 होते हुए एन.एच-150ई और एन.एच-50 को जोड़ने वाले मार्ग संरेखण को मंत्रालय द्वारा पहले ही 14.02.2017 को अनुमोदित किया जा चुका है और 19.01.2019 को राजपत्र में 3 (ए) अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है। इस प्रस्तावित बाईपास के लिए मंत्रालय से एन.एच की घोषणा का इंतजार है। वर्तमान वार्षिक योजना में भूमि अधिग्रहण लागत को भी अनुमोदित किया जाना ज़रूरी है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि नहीं, तो मैं मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूँगा कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उपरोक्त बाईपास को एन.एच संख्या दी जाए।

[हिन्दी]

**श्री नितिन जयराम गडकरी :** सम्माननीय स्पीकर महोदय, देश के केई क्षेत्रों में बाईपास की काफी मांग है। इसके बारे में डिपार्टमेंट ने एक नीति तय की है कि जहां पर भी बाईपास बनाएंगे, वहां जो लैंड एक्विजिशन

होगा, उसका 50 प्रतिशत कंट्रिब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट देगा। यह स्कीम आगे नहीं जा पा रही है, क्योंकि राज्य सरकार 50 प्रतिशत कंट्रिब्यूशन देने की स्थिति में नहीं है। मैंने उसमें ऐसा ऑल्टरनेटिव दिया है कि बाईपास बनाने के लिए जो स्टील और सीमेंट लगता है, उसमें स्टेट की जो जीएसटी लगती है, उसे एग्जेम्प्ट करें और रोड बनाने के लिए जो मैटीरियल यूज किया जाता है, उसे रॉयल्टी फ्री कर दीजिए तो कम से कम आपका यह कंट्रीब्यूशन पकड़ा जाएगा। हम लोग राज्य सरकार की सहमति के लिए वेट कर रहे हैं। हमारे इस प्रपोजल पर आ कर हम से डिसकस करके यह काम भी करेंगे, तो हम मार्ग भी निकालेंगे और इस नीति में बदलाव करेंगे। वर्तमान स्थिति में राज्य की तरफ से बाईपास के लिए 50 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन देना आवश्यक है। इसके कारण ये काम रूके हुए हैं।

मैं आदरणीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि उनके राज्य सरकार की ओर से अगर 50 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन देना है, तो उसकी मंजूरी ला कर दीजिए। अगर यह नहीं होता है, उसमें भी अड़चन है, तो मैंने जो सॉल्यूशन बताया है, आप उसके लिए राज्य सरकार की कमिटमेंट लेकर आइए। अगर यह आएगा कि हम आपके लैंड एक्विजिशन का काम लेकर जाएंगे और बाईपास का काम शुरू करेंगे ।

[अनुवाद]

**माननीय सभापति:** प्रश्न संख्या 427

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट।

**(प्रश्न 427)**

[हिन्दी]

**श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:** सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि देश में बसावटों की संख्या और इसमें 'हर घर जल' की जो योजना है, खास कर ग्रामीण इलाके में जब एक बसावट रहती है, तो जानवरों को पानी पीने और लोगों को पानी देने के लिए यह बहुत उपयुक्त है।

आपने इस प्रश्न का उत्तर सविस्तार दिया है। लेकिन जो वॉटर लेवल बढ़ना चाहिए और दूषित पानी का पर्कुलेशन होता है, क्या इसके लिए स्टेट और सेंटर दोनों के द्वारा किसी योजना का इंप्लीमेंटेशन होगा, जिससे हर घर जल के लिए सोर्स ऑफ वॉटर हो और लोगों को पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो?

**श्री रतन लाल कटारिया :** माननीय सभापति महोदय, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले वर्ष लाल किले के प्राचीर से इस देश में जल जीवन मिशन शुरू किया था। इसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर को नल से जल देने की योजना बनी है। माननीय सदस्य ने जो वॉटर कंटेमिनेशन की बात की है, मैं उसके बार में यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2017 से नेशनल वॉटर क्वॉलिटी सबमिशन कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके अनुसार देश में 27,544 आर्सेनिक और फ्लोराइड वाले हैबिटेशन पाई गई थी। इसके बाद उस पर कार्ययोजना शुरू हुई थी। इसके बाद 1,369 ऐसी हैबिटेशन ही बची थी, जिनमें आर्सेनिक और फ्लोराइड पाया गया था।

वर्तमान में जब से जल-जीवन मिशन शुरु हुआ है, उसे देखते हुए फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, सेलेनिटी, नाइट्रेट, हैवी मेटल्स इन्हें मिलाकर आज देश में 48,169 रुरल हैबिटेशन ऐसी हैं, जो कंटेमिनिशेन से प्रभावित हैं। इनमें से 2,637 में कम्युनिटी वॉटर प्योरिफिकेशन सिस्टम डेवलेप करके ठीक करने की कोशिश की है। इसके लिए 4,50,000 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण लेकर, जनता को जागरुक करेंगी।

[अनुवाद]

**माननीय सभापति:** अब प्रश्नकाल समाप्त होता है

---

## *प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 428 से 440 और

अतारांकित प्रश्न संख्या 4831 से 5060)

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

**मध्याह्न 12.00 बजे**

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री रवनीत सिंह (लुधियाना):** सर, मैं दो बातें पूछना चाहता हूं, उसके बारे में आप बताइए, बजट सेशन चल रहा है। ... (व्यवधान) सारा देश इसे देख रहा है। क्या प्राइम मिनिस्टर जी से वेस्ट बंगाल की रैली में जाकर मिलें? ... (व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि इस बजट में सारे बिल पास हुए हैं, लेकिन गरीब के तेल के बारे में, चूल्हे के बारे में, सिलेंडर के बारे में, छत के बारे में, उन्हें एक बार भी सस्ता करने की बात नहीं हुई है।... (व्यवधान) हमने सारे बिल पास किए हैं।

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)** : आप गलत बोल रहे हैं। प्रधान मंत्री जी हाउस में भी आए थे।... (व्यवधान) आप प्रधान मंत्री जी के बारे में...(व्यवधान) क्या करते हैं? ...(व्यवधान)

**श्री रवनीत सिंह:** आप प्रधान मंत्री जी के दर्शन करवा दीजिए।

**श्री अर्जुन राम मेघवाल:** प्रधान मंत्री जी, हाउस में आए थे।...(व्यवधान) आप प्रधान मंत्री जी के बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हैं। वे मिलने के लिए तैयार रहते हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय सभापति:** अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। ... (*व्यवधान*)

**अपराह्न 12.02 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

**माननीय सभापति:** अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे । मद सं 2 से 5, माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। …(*व्यवधान*) [हिन्दी] पेपर्स लेड हो रहे हैं, प्लीज।

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** माननीय सभापति महोदय, श्री किरेन रिजीजू जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये,देखिए संख्या एल.टी. 4259/17/21 ]

(3) (एक) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ ग्रंथालय में रखे गये,देखिए संख्या एल.टी.4260/17/21 ]

(5) (एक) दादरा और नागर हवेली वक्फ़ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दादरा और नागर हवेली वक्फ़ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ ग्रंथालय में रखे गये,देखिए संख्या एल.टी.4261/17/21 ]

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ ग्रंथालय में रखे गये,देखिए संख्या एल.टी.4262/17/21 ]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** माननीय सभापति महोदय, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ ग्रंथालय में रखे गये,देखिए संख्या एल.टी.4263/17/21 ]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** माननीय सभापति महोदय, श्री हरदीप सिंह पुरी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ ग्रंथालय में रखे गये,देखिए संख्या एल.टी.4264/17/21 ]

(ख) (एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ ग्रंथालय में रखे गये,देखिए संख्या एल.टी.4265/17/21 ]

(ग) (एक) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ ग्रंथालय में रखे गये,देखिए संख्या एल.टी.4266/17/21 ]

(3) (एक) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ ग्रंथालय में रखे गये,देखिए संख्या एल.टी.4267/17/21 ]

(5) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14(क) के अंतर्गत मानवरहित वायुयान प्रणाली नियम, 2021 जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.[हिन्दी] नि. 174(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी.4268/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** माननीय सभापति महोदय, श्री मनसुख मांडविया की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ ग्रंथालय में रखे गये,देखिए संख्या एल.टी.4269/17/21 ]

(3) पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 की धारा 44 के अंतर्गत पोत पुर्नचक्रण नियम, 2021 जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.[हिन्दी] नि. 20 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी.4270/17/21 )

———

[अनुवाद]

**माननीय सभापति**: अब, मद संख्या 6 और 6क, महासचिव महोदय।

**<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>**

## राज्य सभा से संदेश

(एक) **महासचिव:** महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

"कि राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे वित्त विधेयक, 2021 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 23 मार्च, 2021 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 24 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 22 मार्च, 2021 को अपनी बैठक में पारित किये गये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

———————

**अपराह्न 12.03 ½ बजे**

## सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

**माननीय सभापति:** सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 24 मार्च, 2021 को सभा में प्रस्तुत अपने चौथे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए:

| | |
|---|---|
| 1. श्री संजय शामराव धोत्रे<br>(राज्य मंत्री) | 08.03.2021 से 04.04.2021 |
| 2. जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह<br>(राज्य मंत्री) | 10.03.2021 से 08.04.2021 |
| 3. श्री अब्दुल खालेक | 11.02.2021 से 13.02.2021<br>और<br>08.03.2021 से 06.04.2021 |
| 4. श्री अनंत कुमार हेगड़े | 08.03.2021 से 05.04.2021 |
| 5. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी | 04.03.2020 से 23.03.2020<br>14.09.2020 से 23.09.2020 |

29.01.2021 से 13.02.2021

और

08.03.2021 से 18.03.2021

6. श्री शिशिर कुमार अधिकारी 29.01.2021 से 13.02.2021

और

08.03.2021 से 08.04.2021

क्या सभा सहमत है कि समिति द्वारा यथाअनुशंसित सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए?

**अनेक माननीय सदस्य :**जी हां।

**माननीय सभापति:** अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

———————

**अपराह्न 12.04 बजे**

## मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

**(एक) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति***

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी) :** महोदय, मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

———

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.4251/17/21

**<u>अपराह्न 12.04 ½ बजे</u>**

[अनुवाद]

**(दो) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सामान्य रक्षा बजट, बी.आर.ओ, आई.सी.जी, एम.ई.एस, डी.जी.डी.ई, डी.पी.एस.यू, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, रक्षा पेंशन और ई.सी.एच.एस. (मांग संख्या 19 और 22)' के बारे में वर्ष 2018-19 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति***

**आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक):** मैं रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सामान्य रक्षा बजट, बी.आर.ओ, आई.सी.जी, एम.ई.एस, डी.जी.डी.ई, डी.पी.एस.यू, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, रक्षा पेंशन और ई.सी.एच.एस. (मांग संख्या 19 और 22)' के बारे में वर्ष 2018-19 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

———————

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.4252/17/21

**अपराह्न 12.05 बजे**

**(तीन)(क) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'ऊर्जा संरक्षण' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति***

**विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह):** महोदय, मैं विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'ऊर्जा संरक्षण' के बारे मे ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

**(ख) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय बिजली नीति-एक समीक्षा' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति***

**विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर.के. सिंह) :** महोदय, मैं विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय विद्युत नीति-एक समीक्षा' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

*सभा पटल पर रखे गये और ग्रंथालय में भी रखे गये, देखिए संख्या क्रमशः एल.टी 4253/17/21 और 4254/17/21

**(ग) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'विद्युत एक्सचेंज की भूमिका, प्रदर्शन और कार्यकरण का मूल्यांकन' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति***

**विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह) :** महोदय, मैं विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'विद्युत एक्सचेंज की भूमिका, प्रदर्शन और कार्यकरण का मूल्यांकन' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

**(घ) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के कार्यकरण' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति***

**विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह) :** महोदय, मैं विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के कार्यकरण' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

———————

* सभा पटल पर रखे गये और ग्रंथालय में भी रखे गये, देखिए संख्या क्रमशः एल.टी 4255/17/21 और 4256/17/21

**<u>अपराह्न 12.06 बजे</u>**

[अनुवाद]

**(चार) (क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'मसाला बोर्ड के कार्यकलाप और कार्यकरण' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 138वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति***

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री, नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी):** महोदय, मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'मसाला बोर्ड के कार्यकलाप और कार्यकरण' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 138वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

**(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'जैविक उत्पादों का निर्यात: चुनौतियां और अवसर' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति***

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री, नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी):** महोदय, मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित "जैविक उत्पादों का निर्यात: चुनौतियां और अवसर" के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

---

*सभा पटल पर रखे गये और ग्रंथालय में भी रखे गये, देखिए संख्या क्रमशः एल.टी 4257/17/21 और 4258/17/21

**<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>**

[अनुवाद]

**वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय बढ़ाया जाना**

**श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली):** महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ:

" कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के मानसून सत्र, 2021 के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाती है।"

**माननीय सभापति**: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के मानसून सत्र, 2021 के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाती है।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

———

**अपराह्न 12.08 बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

**माननीय सभापति:** माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के अंदर सभा के पटल पर पर्चियां सौंप दें।

### (एक) मध्य प्रदेश के धार जिले में एक बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री छतरसिंह दरबार (धार):** मध्य प्रदेश में मेरा संसदीय क्षेत्र धार एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहां के लोगों की जीविका का मुख्य स्रोत खेती एवं पशुपालन है। मध्य प्रदेश के अन्य आदिवासी जिलों झाबुआ, खरगोन, बड़वानी और खंडवा में स्थित धार जिले की मनावर तहसील में एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में फलों और फूलों की खेती करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इस क्षेत्र में नर्मदा परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना तथा माही परियोजना के चलते जल की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता यहां के किसानों के लिए एक वरदान है। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि इस क्षेत्र के उन्नतिशील किसानों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना करने की कृपा करें।

---

*सभा पटल पर रखे गये माने गये।

## (दो) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में इंटरसिटी ट्रेन (गाड़ी संख्या 02529) को भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

**श्री रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया):** मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र देवरिया उत्तर प्रदेश की पूर्वी दिशा का सबसे पिछड़ा और अंतिम जिला है। देवरिया जिला मुख्यालय से गोरखपुर की दूरी 50 कि.मी. है। गोरखपुर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिदिन एक इंटर सिटी ट्रेन (02529) जाती है और शाम को (02530) वापस आती है। इससे गोरखपुर और लखनऊ के बीच के लगभग 7 जिलों की जनता इस सुविधा से लाभान्वित होती है और अपने कार्यों से सम्बंधित इस सुविधा का लाभ उठाती है। केवल 1 जिला देवरिया इस सुविधा से वंचित रह जाता है।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस इंटर सिटी ट्रेन (02529) को देवरिया जिला के भटनी जंक्शन जो बिहार का बार्डर है, तक बढ़ाया जाये जिसकी दूरी गोरखपुर जिले से 70 कि.मी. है जिससे कि इसकी सुविधा देवरिया के लोगों को भी मिल सके जो इस से वंचित रह जाते है। लखनऊ राजधानी से प्रशासनिक तथा चिकित्सक कार्यों से जाने वाले लोग जो इस सुविधा से वंचित रह जाते है, उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा।

**(तीन) जलगांव में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने और रोजगार के अवसर सृजित किए जाने के बारे में**

[अनुवाद]

**श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव):** जलगाँव ऐतिहासिक महत्व का शहर है और यहाँ धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कई स्थान स्थित हैं। महेश्वर मंदिर, चंडिका देवी मंदिर, नागार्जुन मंदिर और मुधई देवी मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है और देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। चूंकि ये मंदिर 11वीं सदी के हैं, इसलिए इनके मूल स्वरूप को संरक्षित करने के लिए नियमित रखरखाव की ज़रूरत है। ये मंदिर वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं और इन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इन स्मारकों के संरक्षण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समयबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार कार्य सम्पन्न किया जाए। जलगाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु इन मंदिरों के आसपास के 100 मीटर क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक व्यापक रणनीति भी अभिकल्पित की जानी चाहिए।

## (चार) उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सण्डीला तहसील में बुनाई मिल पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख):** मेरे संसदीय क्षेत्र में संडीला तहसील में कताई की मिल थी, जो पिछले काफी समय से बंद पड़ी हुई है। इस मिल के अभी तक चालू न होने के कारण श्रमिक बेकार हो गए हैं और उनकी जीविका का सहारा भी छूट गया है तथा उनके परिवार अत्यन्त ही दयनीय स्थिति में है और भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों द्वारा इस कताई मिल को पुनः चालू करवाये जाने हेतु विगत कई वर्षों से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

मेरा अनुरोध है कि मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत संडीला में बंद पड़ी कताई मिल को पुनः चालू कराये जाने हेतु विशेष आर्थिक सहायता प्रदान कर पुनः चालू किया जाए और यदि बंद पड़ी इस कताई मिल को पुनः चलाना संभव नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में इस मिल की रिक्त पड़ी भूमि को डिफेंस कॉरिडोर में शामिल किया जाए अथवा इस भूमि को इण्डस्ट्री स्थापित किए जाने हेतु आवंटित किया जाए, ताकि रिक्त पड़ी भूमि विकसित हो सके एवं स्थानीय युवकों को रोजगार सुलभ हो सके।

## (पाँच) अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिकों के समान सुविधाएं प्रदान किए जाने के बारे में

**श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर):** अर्धसैनिक बल के जवान (पैरामिलिट्री फोर्सेस) पूरी निष्ठा और देशभक्ति के साथ देश की सरहदों की रक्षा व आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को संभालने में अपनी अहम भूमिका अदा करते है। प्राकृतिक आपदायें बाढ़-भूकंप के समय व आवश्यकता पड़ने पर राज्यों में कानून व्यवस्था बनाये रखने सहित दंगाग्रस्त इलाकों में अर्धसैनिक बलों का सराहनीय योगदान किसी से भी छिपा नहीं है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 23 नवंबर 2012 को सभी राज्य सरकारों को मेमोरेंडम जारी कर अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को सेवानिवृत्त सैनिकों की तरह ही सुविधायें प्रदान करने के लिये कहा था। लेकिन वर्तमान में कुछ ही राज्य सरकारों द्वारा यह सुविधा प्रदान की जा रही है। अर्धसैनिक बलों की राष्ट्र के प्रति सेवा भाव को देखते हुये शेष बचे राज्यों में भी सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों के जवानों को सेवानिवृत्त सैनिकों की तरह ही सुविधायें मिल सकें इस हेतु भी प्रयास करने चाहिये ।

**(छह) उत्तराखंड में उत्तरकाशी-कमद-अनियार कखल-बूढ़ाकेदार-घन्साली-मयाली-तिलवाड़ा सड़क को बारहमासी राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने के बारे में**

**श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल):** मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तराखंड के सीमांत जपनद उत्तरकाशी की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। उत्तरकाशी से कम दूरी, सरल-सुगम एंव पौराणिक बूढ़ाकेदार मंदिर को जोड़ने वाला, उत्तरकाशी कमद- अनियारकखल, बुढ़ाकेदार, घनसाली, मयाली, तिलवाड़ा मोटर मार्ग को ऑलवेदर रोड़ ( चारधाम प्रोजेक्ट ) को जोड़ने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग पिछले कई वर्षों से स्थानीय लोग तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार की जा रही है। बूढ़ाकेदार - अनियारकखल, उत्तरकाशी मोटर मार्ग यातायात के लिए एक दशक पूर्व खोला गया था। यह मार्ग सरकार की मंशा के अनुरूप उत्तराखंड के प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को सुगम बनाने तथा प्राचीन पौराणिक बाबाकाशी विश्वनाथ मंदिर, तथा उत्तरकाशी- बूढ़ाकेदार मंदिर को जोड़ते हुए निर्माणाधीन दो ऑलवेदर रोड एन.एच-108 तथा 109 को बीच में सुगमता से जोड़ने तथा दूरी कम करने वाला मार्ग है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सीमांत जनपद उत्तराकाशी के हर्षिल, नेलांग में स्थित आर्मी कैंप से सीमांत चमोली के जोशीमठ, माणा में स्थित आर्मी कैंप जोड़ने वाला मार्ग है।

उपरोक्त वर्णित मार्ग पर पड़ने वाले अविकसित पौराणिक व प्राकृतिक सौदर्य वाले स्थल को मानचित्र पर पहचान मिल सकेगी तथा उत्तरकाशी स्थित बाबा काशीनाथ, बूढ़ाकेदारनाथ के दर्शन व पवित्र नदी मां भागीरथी में, स्नान के लिए सीमांत क्षेत्र की जनता को वर्षभर हर मौसम में सुविधा मिलती रहेगी।

अतः मेरा केन्द्रीय मंत्री से आग्रह है कि जनभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उपरोक्त मार्ग को ऑलवेदर राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु स्वीकृति देने की कृपा करें।

## (सात) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं शेखावाटी क्षेत्र के लिए पेयजल और सिंचाई परियोजना का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

**श्री राहुल कस्वां (चुरू):** मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरू व शेखावाटी क्षेत्र को पेयजल व सिंचाई का जल पहुँचाने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पर भारत सरकार द्वारा कार्य किया गया था, जिसके तहत ताजेवाला हेड से पाइपलाइन के माध्यम से यमुना नदी का जल मेरे क्षेत्र में पहुँचाने की योजना बनाई थी। भारत सरकार द्वारा इस हेतु हवाई सर्वे करवाकर कार्य भी पूर्ण कर लिया गया था, व राजस्थान सरकार को निर्देश भी जारी कर दिए गए थे कि इस योजना हेतु डीपीआर बनाये जाने का कार्य शुरू किया जाये। पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार द्वारा इस हेतु डीपीआर बना कर भारत सरकार के पास भिजवा दी गई थी, जिसके तहत इस योजना पर कुल 20 हजार करोड़ रूपये की राशि का व्यय होना बताया गया था, जिसमे से 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाने का भी प्रावधान था। लेकिन आज तक इस योजना की स्वीकृति भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी नहीं की गई हैं। चुरू लोक सभा क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा रेगिस्तानी इलाका हैं और यहाँ जल की भारी कमी हैं। इसके योजना के तहत मेरे गृह तहसील राजगढ़ का जो हिस्सा लाभान्वित होगा वह पहले से ही डार्क जोन घोषित किया हुआ हैं व इस क्षेत्र में कुंओं का जलस्तर भी लगातार घटता जा रहा हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध हैं की चुरू लोक सभा क्षेत्र के साथ साथ शेखावाटी क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना को जल्द से जल्द स्वीकृत किया जावे ताकि हमारे क्षेत्र को पानी मिल सके।

## (आठ) उत्तर प्रदेश के झाँसी और ललितपुर जिलों के विकास के बारे में

**श्री अनुराग शर्मा (झांसी):** मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के जनपद झांसी ललितपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं, जनपद झांसी व ललितपुर 1974 के पूर्व एक ही जनपद हुआ करते थे, जिसका कि अब भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी सियासी गलियारों में गिड़गिड़ाता बुंदेलखंड अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी व माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी की अनुकंपा से बुंदेलखंड की दिशा और दशा बदलने जा रही है।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विगत वर्षों में डिफेंस कॉरिडोर, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना हेतु घोषणा की गई थी, जो अब मूर्त रूप लेने जा रही है ,कोशिशें परवान चढ़ी तो वह दिन दूर नहीं जब बुंदेलखंड में कारखानों की एक लंबी श्रृंखला होगी, इसी क्रम में ललितपुर हवाई पट्टी, झांसी हवाई पट्टी की कार्यवाही चल रही है। वर्तमान में खेती पर निर्भर बुंदेलखंड में सरकार के सहयोग से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एवं फूड प्रोसेसिंग के संबंध में भी कार्यवाही आगे बढ़ रही है। विशेषता दलहन, तिलहन, मटर, अदरक, मूंगफली आदि के उत्पादक क्षेत्र बरुआ सागर, मऊरानीपुर, चिरगांव, बबीना, तालबेहट, जाखलौन, महरौनी, बिरधा आदि क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण की छोटी-छोटी इकाइयां विकसित करने हेतु लोग आगे आ रहे हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में ललितपुर में आटा मिल भी स्थापित की गयी है। इन सब कार्यों से बुंदेलखंड वासियों को नियमित रूप से रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका के माध्यम से क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के रूप में प्लेटफार्म उपलब्ध हुआ है, जिससे यहां के दुग्ध उत्पादकों को सही मूल्य एवं एवं नियमित बैंकिंग भुगतान प्राप्त हो रहा है एवं कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी हो रही है।

खनिज संपदा से सम्पन्न बुंदेलखंड क्षेत्र में विगत शताब्दियों से पन्ना क्षेत्र हीरा उत्पादन के लिए विख्यात है, अब यहां हिनौता, मझगवां तथा छतरपुर जनपद के अंगोर नामक स्थान में भी हीरा प्राप्त होने की पर्याप्त संभावनाएं हैं , हीरा उत्पादन से करोड़ों रुपए की रॉयल्टी प्रांतीय सरकार को प्राप्त होती है। बुंदेलखंड में वास्तु पत्थर के अच्छे भंडार हैं। ग्रेनाइट पत्थर अपनी गठन, कठोरता तथा सुंदरता के कारण अलंकरण पत्थर के रूप में प्रसिद्ध है। विदेशों में जर्मनी, जापान, इटली में इसकी वृहद मांग है। कांच उद्योग

में प्रयोग होने वाली बालू के निक्षेप इतने बड़े हैं कि संपूर्ण भारत की 80% मांग यहीं से पूरी हो सकती है अनेक स्थानों में सिल्का की मात्रा 99.2% है,गोरा पत्थर भी कई स्थानों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बुंदेलखंड में पाए जाने वाले खनिजों में फोस्फेराइट, गैरिक जिप्सम, लौह अयस्क, अन्य अमूल्य रत्न आदि है।

संभावित खनिजों की सूची में तांबा, सीसा, निकिल, टंगस्टन, चांदी, सोना आदि है। ललितपुर में अनुमानत: 10 करोड़ टन खनिज का भंडार है, इसमें से 35% से 67% लोहा प्राप्य है जो स्पंज आयरन हेतु उपयोगी है। सुनरइ ललितपुर में 400 मीटर से 1000 मीटर लंबे तथा 1 से 3 मीटर मोटे ताम्र अयस्क भंडार हैं। जिनमें 0.5 प्रतिशत तांबा है यहां पर जो ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती हैं, यह चट्टाने अधिकतम रेडियोधर्मी यूरेनियम युक्त होती हैं, ललितपुर में हुए सर्वेक्षण के द्वारा इस संभावना को बल मिला है। महोदय बुंदेलखंड को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के लिए निम्न बिंदुओं पर प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता है I झांसी जनपद में यहां के खाद्य उत्पाद मटर, अदरक, दलहन, तिलहन ,मिल्क उत्पाद, रानीपुर टेरीकॉट प्रोसेसिंग की स्थापना हेतु आर्थिक सहयोग व विभिन्न प्रकार की सब्सिडी की आवश्यकता है।

मेरा निवेदन है कि भारत सरकार इस प्रकार की नीति विकसित करें जिससे कि जनपद झांसी,ललितपुर में विभिन्न प्रोसेसिंग यूनिट आसानी से स्थापित की जा सके। बुंदेलखंड के छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु बुंदेलखंड में 100 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु भूमि खरीद के लिए ऋण लेने पर शत-प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया जाए। श्रमिकों के लिए हॉस्टल या डॉरमेट्री सरकारी खर्चे पर बनवाए जाएं। औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए भूमि खरीद पर बुंदेलखंड क्षेत्र हेतु शत-प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट प्रदत्त की जाए। फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए इसे मंडी शुल्क से मुक्त किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 साल तक छूट का प्रावधान रखा जाए । झांसी स्थित बी एच ई एल को अधिक से अधिक सरकारी वर्क आर्डर दिलाए जाने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाए ।

**(नौ) दिल्ली और गोरखपुर के बीच वंदे भारत रेलगाड़ी और लखनऊ-गोरखपुर-वाराणसी रेल खंड पर शताब्दी एक्सप्रेस चलाए जाने के बारे में**

**श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर):** दिल्ली से गोरखपुर वन्दे भारत ट्रेन व लखनऊ गोरखपुर वाराणसी रेल खण्ड पर शताब्दी एक्सप्रेस चलाई जाए।

**(दस) राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित ओगणा में लवीना विकास सेवा संस्थान द्वारा अनाथ बच्चों के लिए संचालित खुले आश्रयगृह के बारे में**

**श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर):** मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र उदयपुर में लविना विकास सेवा संस्थान ओगना जो कि ओपन शेल्टर होम 21 सितम्बर 2017 से चला रहे है। इनके द्वारा जनजाति बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र में बीटी कॉटन कपास की मजदूरी करने वाले अनाथ बालकों को निवासरत किया जाता है। बताना चाहूंगा कि जिला के कलेक्टर एवं अन्य जनप्रतिनिधि विभागीय अधिकारी द्वारा संतोषप्रद निरीक्षण किया जा चुका है और मैं स्वयं भी इनके संस्थान गया हूँ और इनके काम को जाना और समझा तथा रह रहे बालको से भी मिला हूँ। आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आज तक इनको पिछले 4 वर्षों से कोई भुगतान नहीं हो पाया है। मुझे इस बात से भी अवगत करवाया गया है कि संरक्षक पिछले साढ़े तीन साल से कर्ज लेकर इन बालकों का भरण पोषण कर रहे है।

अत: मेरा माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि तत्संबंधित अधिकारी को इस विषय पर जांच करवाने के आदेश देवे और साथ ही इनका भुगतान जल्द से जल्द करवाने के आदेश जारी करें। इसके लिए मैं तथा संस्थान और वहां रह रहे बालक आपके सदा आभारी रहेंगे और कम से कम उन्हें राइट टू फूड का हक़ मिल सके।

## (ग्यारह) हरियाणा में रेलवे से जुड़ी समस्याओं के बारे में

**श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़):** गाडी संख्या 14021/22 सैनिक एक्सप्रेस का ठहराव सतनाली पर पुन: बहाल किया जाए-

ट्रेन संख्या 22471/72 बीकानेर-दिल्ली इंटरसिटी का ठहराव सतनाली स्टेशन पर किया जाए।

दैनिक यात्रियों की मांग पर रोहतक से जयपुर वाया झज्जर - अटेली और नारनौल नई डी.एम.यू. ट्रेन चलाई जाए।

सीकर से रेवाड़ी वाया अटेली और नारनौल नई डी.एम.यू. ट्रेन चलाई जाए।

लोहारु से भिवानी नई रेलवे लाईन को बिछवाया जाए।

भिवानी से रोहतक रेल लाईन का दोहरीकरण किया जाए।

ट्रेन संख्या 54423/24 (हिसार-भिवानी-रोहतक-दिल्ली) सवारी गाड़ी को एक्सप्रेस किया जाए।

अलवर – महेंद्रगढ़ - दादरी के लिए नई रेलवे लाईन बिछवाई जाए।

ट्रेन संख्या 09416 का चरखी दादरी रेलवे स्टेशन पर ठहराव करवाया जाए।

## (बारह) बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चिरैया-दिपही-घोड़ासहन सड़क का शीघ्र निर्माण कराए जाने के बारे में

**श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** मैं सरकार का ध्यान अपने शिवहर संसदीय क्षेत्र के पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत चिरैया-दिपही-घोड़ासहन रोड की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। ज्ञात हो कि उक्त सड़क चिरैया एवं घोड़ासहन प्रखण्ड को जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क है जिसकी कुल लम्बाई लगभग 15 किलोमीटर है। सड़क की स्थिति जर्जर होने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा आवागमन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आये दिन यहाँ छोटी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है।

अतः सरकार से अनुरोध होगा कि जनहित में उपरोक्त चिरैया-दिपही-घोड़ासहन रोड के शीघ्र निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये।

## (तेरह) बिहार के औरंगाबाद जिले में पत्थर खनन स्थलों पर पर्यावरण संबंधी मानदंडों के कथित उल्लंघन के बारे में

**श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद):** बिहार के औरंगाबाद जिले में रफीगंज अंचल के पचार तथा मदनपुर अंचल के सैंडल पत्थर खदानों में खनन मानदंडो का उल्लंघन किया जा रहा है। पत्थर खनन के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत पट्टाधारी को कुछ शर्तें यथा रात्रि में खनन रोकना, कंक्रीट पिलरों का ढाला जाना, पर्यावरण रक्षा हेतु वृक्षा रोपण करना आदि मानने की बाध्यता होती है। किन्तु दोनों ही स्थानों पर खनन में पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन कर न सिर्फ रात में इन खदानों का दोहन जारी है बल्कि नियम विरुद्ध न तो हरित पट्टी विकसित की जा रही है न ही खनन स्थल पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु जी.आई. शीट का उपयोग किया जा रहा है बल्कि नियम विरुद्ध अधिक गहराई तक ड्रिलिंग कर पत्थर तोड़ने का कार्य जारी है। रफीगंज में खनन स्थल के निकट ही जैन मंदिर, एक मस्जिद तथा हिन्दू धर्मस्थल भी है। बड़े विस्फोटों से निकट बसी आवादी के घरों एवं इन धार्मिक स्थलों के भवनों को भी क्षति पहुँच रही है।

मेरी सरकार से मांग है कि केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड इन खनन स्थलों कि जांच करें तथा खनन शर्तें न पूरा करने कि स्थिति में तत्काल प्रभाव से खनन प्रतिबंधित किया जाए।

**(चौदह) महाराष्ट्र के शिर्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे से जुड़ी समस्याओं का उचित समाधान किए जाने के बारे में**

**श्री सदाशिव किसान लोखंडे (शिर्डी):** मुझे अपने संसदीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान शिर्डी-अहमदनगर-पुणे इंटरसिटी रेल सेवा प्रारम्भ किए जाने तथा बेलापुर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 16229 (मैसूर-सोलापुर-वाराणसी) और 1211 (पुणे-नागपुर गरीब रथ) के ठहराव दिए जाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं तथा इस संबंध में मैंने माननीय रेल मंत्री जी का भी पत्र के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया है कि बेलापुर रेलवे स्टेशन पर उक्त दोनों रेलगाड़ियों के ठहराव दिए जाने की सिफारिश मंडल रेलवे द्वारा बोर्ड को की गयी है, जो अभी तक लंबित है।

मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि शिर्डी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान रेलगाड़ी नं. 51033/51034 सांई नगर-दौंड-पुणे-मुंबई शिर्डी फास्ट पैसेंजर शुरू किए जाने की भी मांग की गई है। इस संदर्भ में भी मेरे द्वारा माननीय रेल मंत्री जी को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है।

मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र की रेल समस्याओं के निराकरण हेतु समुचित कदम उठाए जाएं।

———

**अपराह्न 12.09 बजे**

## विदाई संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

**माननीय सभापति**: माननीय सदस्यगण, हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों की सुविधा और सत्र के सुचारू संचालन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। हम उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अनेक सदस्यों ने भी माननीय अध्यक्ष के स्वास्थ्य के बारे में अपनी भावनाएँ व्यक्त की हैं। अब उनकी हालत स्थिर है। मैं सभा की ओर से उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।

माननीय सदस्यगण, अब हम 17वीं लोक सभा के 5वें सत्र के समापन पर आ गए हैं, जो 29 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ था। इस सत्र के दौरान, हमने 24 बैठकें की जिनके तहत131 घंटे 56 मिनट कार्य हुआ।

माननीय राष्ट्रपति ने 29 जनवरी, 2021 को एक साथ समवेत दोनों सभाओं के सदस्यों को सम्बोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 16 घंटे 58 मिनट तक चर्चा चली और 149 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने चर्चा का उत्तर दिया। सभा ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2021 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 42 मिनट तक चली। वाद-विवाद में कुल 146 सदस्यों ने भाग लिया तथा वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों (2021-22) पर चर्चा की गई। वाद-विवाद पर कुल 21 घंटे 43 मिनट का समय लगा। संबंधित मंत्रियों के उत्तरों के साथ चर्चा समाप्त हुई। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में शेष मंत्रालयों की

शेष बची सभी अनुदानों की मांगों को 17 मार्च, 2021 को सभा की स्वीकृति के लिए रखा गया और वे सभी स्वीकृत हुईं तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

इस सत्र के दौरान, 17 सरकारी विधेयक पुरः स्थापित किए गए। कुल मिलाकर, 18 विधेयक पारित हुए। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं:- माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021; खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021; संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021; बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021; नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021; वित्त विधेयक, 2021, राष्ट्रीय अवसंरचना ओर विकास वित्त-पोषण बैंक विधेयक, 2021 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021।

84 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। प्रश्न काल के पश्चात् और सायं देर तक बैठ कर सदस्यों ने कुल 583 अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए। माननीय सदस्यों द्वारा नियम 377 के अधीन कुल 406 मामले उठाए गए।

सभा में महिला सशक्तिकरण के संबंध में एक ध्यानाकर्षण पर भी चर्चा हुई, जिसे बाद में नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा में बदल दिया गया। स्थायी समितियों ने सभा में 163 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

मंत्रियों द्वारा निदेश 73क के अंतर्गत *48* वक्तव्य दिए गए और 5 स्वप्रेरणा वक्तव्य दिये गए। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में तीन वक्तव्य भी दिए गए। सत्र के दौरान, संबंधित मंत्रियों द्वारा 3591 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया।

माननीय सदस्यों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय अध्यक्ष के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय सदस्यों के सहयोग से लोक सभा के इस सत्र की उत्पादकता 114 प्रतिशत रही। गैर - सरकारी सदस्यों के कार्य की बात करें तो तीसरे सत्र के दौरान 20 मार्च, 2020 को श्री रितेश पाण्डेय द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय के बारे में एक

संकल्प पेश किया गया था जिस पर वर्तमान सत्र के दौरान 12 फरवरी और 19 मार्च, 2021 को आगे चर्चा की गई और उस पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई।

मैं सभा की कार्यवाही को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों का उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्रियों, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूँ।

मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं इस अवसर पर सभा को प्रदान की गयी समर्पित और त्वरित सेवाओं के लिए महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूँ। मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में संबद्ध एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान की गई महत्वपूर्ण सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ।

———————

[अनुवाद]

**माननीय सभापति**: माननीय सदस्यगण, *अब* 'वंदे मातरम्' की धुन बजाई जाएगी; अतएव हम सभी खड़े होंगे।

**अपराह्न 12.13 बजे**

## राष्ट्रीय गीत

*राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।*

———

[अनुवाद]

**माननीय सभापति**: सभा अनिश्चित काल के लिए *स्थगित होती है*।

**अपराह्न 12.15 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।*

———

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

**लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण**

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

**© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय**

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित